आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)
आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिषर, भोपाल

क्रमांक / ~~सी.ई.ओ.~~ / ए.बी. / 2019 / 196 वित्त — भोपाल, दिनांक 01 / ~~06~~ / 2019 01/07/2019

प्रति,

1. समस्त सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, म.प्र.
2. समस्त अधीक्षक, सिविल अस्पताल, म.प्र.
3. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, म.प्र.

विषयः– इन्सेन्टिव के वितरण हेतु इन्सेन्टिव प्रपत्र में डाटा भरने के संबंध में Standard Operating Procedures (SOP) **बावत।**

विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 81 दिनांक 25.06.2019 के द्वारा संबंधित चिकित्सालय के आर.के.एस. खातें में जमा करायी इन्सेन्टिव की राशि के वितरण के संबंध में निम्नानुसार Standard Operating Procedures (SOP) के अनुरूप कार्य करें।

- ईमेल के माध्यम से डाटा के साथ एक एक्सलसीट प्रेषित की गई है, जिस पर निम्नानुसार कार्य करते हुए इन्सेन्टिव का वितरण संबंधितों को किया जाना हैः–

  स्टेप–1 सर्वप्रथम अस्पतालवार भेजी गई डाटा सीट से केस नम्बर, प्रोसीजर्स डिटेल्स, प्रोसीजर्स राशि (Claim Approved Amount) को कॉपी करते हुए उक्त डाटा को एक्सलसीट में भेजे गये इन्सेन्टिव प्रपत्र में कॉलमवार Paste करना है।

  स्टेप–2 इसके पश्चात् एक्सलसीट (इन्सेन्टिव प्रपत्र) के कॉलम F में मेडिको का नाम भरना है, नाम भरते ही कॉलम G में मेडिको की राशि रू. 20 / – स्वतः ही दिखाई देने लगेगी।

  स्टेप–3 इसके पश्चात् प्रोसीजर्स कोड अनुसार सर्जन / Treating Doctors, Anesthetist / Assistant Medical Officer, Assistant Surgeon/ Medical Officer, Pethalogist and Redio Logists, Lab Technician, OT एवं इन्डोर नर्सिंग स्टॉफ, अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कॉलम में किसी केस में कार्य किये गये संबंधितों के नाम कॉलमवार भरने होगें, नाम भरते ही इन्सेन्टिव राशि की गणना प्रतिशत अनुसार स्वतः ही हो जायेगी।

  स्टेप–4 इस प्रकार प्रत्येक केस / क्लेम का इन्सेन्टिव वितरण प्रपत्र तैयार कर संबंधित कर्मचारी / अधिकारियों की एकजाई राशि को संबंधित कर्मचारी / अधिकारी के बैंक खाते में सीधे जमा कराया जाये।

नोटः– एक्सलसीट में भेजे गये इन्सेन्टिव प्रपत्र में सर्जिकल एवं मेडिकल प्रोसीजर्स हेतु अलग अलग टेब दिये गये है, अतः इन्सेन्टिव वितरण की जानकारी भरते समय सर्जिकल एवं मेडिकल प्रोसीजर्स हेतु क्लेम की प्रकृति के अनुसार अलग–अलग टेब का प्रयोग करना है।

(राज कुमार त्रिपाठी) 01/07/2019
वित्त अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.

R. K. TRIPATHI
Finance Officer
Ayushman Bharat Niramayam